# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

**पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.**

राजस्व आवेदन संख्या :– 40 / 2022

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. हिमताराम पुत्र नरीगाराम, उम्र 62 साल<br>2. भेराराम पुत्र नरीगाराम, उम्र 60 साल<br>3. उदाराम पुत्र नरीगाराम, उम्र 52 साल जातियान–जाट, निवासी–ऐवाड़ी मानजी (डंडाली), तहसील–सिणधरी, | | 1. मोहनलाल पुत्र प्रतापमल, उम्र–55 वर्ष, जाति–महाजन, निवासी–ऐवाड़ी मानजी (डंडाली), तहसील–सिणधरी, जिला–बालोतरा<br>2. तहसीलदार सिणधरी |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति–**

1. श्री जोगराज पोटलिया वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

## <u>निर्णय</u>

**दिनांक–** 31.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। कि प्रार्थीगण का खेत मौजा राजस्व ग्राम ऐवाड़ी मानजी, पटवार हल्का डंडाली में खसरा संख्या 137/53 रकबा 24.7797 हेक्टेयर का आया हुआ है और पड़ौसी खातेदार विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा 135/53 भी सेठा–सेठ आया हुआ है।कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा सेटलमेन्ट के समय से लेकर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है, प्रार्थीगण का रहवासी मकान, पानी का टांका, पशुओं का चारबाड़ा व खेत की तारबंदी मौके पर की हुई है।प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 का पूर्व में संयुक्त खेत होने से और बाद में बेचान करने से विप्रार्थी संख्या 01 का अलग खसरा व प्रार्थीगण से अलग तरमीम कर बंटबाड़ा किया गया था, जिसमें अपने कब्जे काश्त के आधार पर खेत को अलग करते हुए राजस्व रेकर्ड में अलग किया गया। लेकिन मौके पर किसी प्रकार का नाप वगैरा नहीं किया गया था और पक्षकारान पूर्व कब्जे के आधार पर कायम है। कि विप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल ने अपने खेत से बिना किसी प्रकार का सीमानान करवाये या बिना किसी नेखम के आदेश प्रार्थीगण के खेत के किनारे पर जो प्रार्थीगण के खेत की पुरानी माठे व अपनी सीमा के निशान के रुप में जो बाड़ आदि की हुई है जिसको धीरे धीरे बिखेरना शुरु कर दिया और अनाधिकृत रुप मे प्रार्थीगण के खेत में प्रवेश करना शुरु दिया व प्रार्थीगण के खेत मे पेड़ पौधो को काटना शुरु कर दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

विप्रार्थी का खेत प्रार्थीगण के खेत के सेठा सेठ आया हुआ है। इस प्रकार विप्रार्थी ... 01 मोहनलाल के द्वारा अपने खेत का किसी प्रकार से नाप वगैरा नही करवाया गया है ... न ही अपने खेत की नेखमबन्दी करवाई गयी है। राजस्व रेकर्ड में पूर्व में बंटवाड़ा किया गया था लेकिन मौके पर जमीन का नाप वगैरा नहीं किया गया है जिससे प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल आपस मे पुराने कब्जे काश्त के आधार पर ही खेती करते है, जबकि प्रार्थीगण के द्वारा अपने खेत की सीमाज्ञान करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया हुआ है जो तहसील मे विचाराधीन है, जबकि विप्रार्थी अपनी मन मर्जी के आधार पर प्रार्थीगण को परेशान कर रहा है और अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने या अपने खेत का सीमा ज्ञान करवाने या पटवारी से खेत को नपवाने के लिये किसी प्रकार का कोई प्रयास नही किया है। विप्रार्थी द्वेष की भावना से प्रार्थीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से प्रार्थीगण के खेत को खराब कर रहा है और बाड़ को काट रहा है यदि विप्रार्थी अपने इस नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही निष्फल हो जायेगा और प्रार्थीगण के हितों पर भारी कुठाराघात होगा, जिससे प्रार्थीगण न्याय पाने से वंचित हो जायेगा और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिस क्षतिपूर्ति का आंकलन भविष्य में किसी प्रकार सम्भव नही होगा। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, क्योकि प्रार्थीगण का अपना कब्जा–काश्त है व अपने हिस्से के अनुसार बाड़ बनाई हुई है व अपने खेत की सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र भी तहसील में विचाराधीन है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र स्वीकार पर ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरुद्ध विप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल, इस आशय की जारी फरमायें कि मौजा राजस्व ग्राम ऐवाड़ी मानजी, पटवार हल्का डडाली में खसरा संख्या 137/53 रकबा 24.7797 हेक्टेयर भूमि विप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थीगण की बाड़ को न हटायें वख पेडमला काटे य अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 1 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थीगण का खेत मौजा राजस्व ग्राम ऐवाड़ी मानजी, पटवार हल्का डंडाली में खसरा संख्या 137/53 रकबा 24.7797 हेक्टेयर का आया हुआ है और पड़ौसी खातेदार विप्रार्थी संख्या 01 का खसरा 135/53 भी सेठा–सेठ आया हुआ है।कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों का कब्जा सेटलमेन्ट के समय से लेकर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है, प्रार्थीगण का रहवासी मकान, पानी का टांका, पशुओं का चारबाड़ा व खेत की तारबंदी मौके पर की हुई है।प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 का पूर्व में संयुक्त खेत होने से और बाद में बेचान [illegible] विप्रार्थी [illegible] का अलग खसरा व प्रार्थीगण से अलग तरमीम कर बंटबाड़ा किया गया था जिसमें [illegible] कब्जे काश्त के आधार पर खेत को अलग करतें हुऐ राजस्व रेकर्ड में अलग किया गया लेकिन मौके पर किसी प्रकार का नाप वगैरा नहीं किया गया था और पक्षकारान पूर्व कब्जे के आधार पर कायम है। कि विप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल ने अपने खेत का बिना किसी प्रकार का सीमानान करवाये या बिना किसी नेखमबंदी के आदेश प्रार्थीगण के खेत के किनारे पर जो प्रार्थीगण के खेत की पुरानी माठे व अपनी सीमा के निशान के रूप में जो बाड़ आदि की हुई है जिसको धीरे धीरे बिखेरना शुरु कर दिया और अनाधिकृत रुप मे प्रार्थीगण के खेत में प्रवेश करना शुरु दिया व प्रार्थीगण के खेत मे पेड़ पौधो को काटना शुरु कर दिया है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:08 IST
Reason: SelfAttested

विशिष्ट भू-भाग वाली भूमि कब्जा कर हथियाने का प्रयास कर रहे है। जहां तक खातेदारी की की नेखमबंदी हेतु प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में ऐसी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, जिससे यह स्पष्ट होता हो, कि पक्षकारान के मध्य सीमाज्ञान के विवाद के निपटारे हेतु पक्षकारान स्वरूची नहीं ले रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी इन तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्यो के प्रमाणित नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जहां तक पक्षकारान के मध्य मूल विभाजन के बाद अलग हुए खातेदारी के खेत के पर कब्जे करने अथवा उसे बेदखल करने का प्रश्न है, उसके निरतारण की कार्यवाही मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तय करते हुए निराकरण किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**सहायक कलक्टर सिणधरी**

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**सहायक कलक्टर सिणधरी**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:43:08 IST
Reason: SelfAttested